यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश के माह 11/2017 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री खजान सिंह एवं श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षक अधिकारियों द्वारा दिनांक 21.10.2020 से 27.10.2020 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

परिचयात्मकः- इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखपापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री आन्नद कुमार पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09.11.2017 से 14.11.2017 तक श्री पी.सी. श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 11/2015 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गयी थी।

वर्तमान में माह 11/2017 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- ऋषिकेश

(ii)(अ) विगत वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(धनराशि रु. लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**अधिक्य (+)**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2017-18	-	-	284.87	264.64	10.04	09.04	-	21.23
2018-19	-	-	223.59	223.59	10.39	10.39	-	00
2019-20	-	-	266.24	266.24	18.30	16.32	-	1.98
2020-21 (09/20)	-	-	60.29	60.29	08.60	08.60	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-

(रु. लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत**
2017-18	-	-	-	-	-
2018-19	-	-	शून्य		-
2019-20	-	-	शून्य		-
2020-21 (09/20)	-	-	शून्य		-

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई कार्यालय, उप जिलाधिकारी, ऋषिकेष 'सी' श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

उप जिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
वसिल वाकी नवीस
पेशकार उप जिलाधिकारी
रजिस्ट्रार कानूनगो

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश की लेखापरीक्षा कमें लेन-देन-कम-अनुपालन को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण प्रतिवेदन अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश की लेखापरीक्षा में पाये गेय निष्कर्षों पर आधारित है। माह 09/2020 एवं 10/2019 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये बारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971, (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धार 13 एवं 16 लेखा तथा लेखपारीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग -II'अ'

शून्य

भाग दो(ब)

प्रस्तर 01- अनविज्ञ मदों की धनराशि रु. 38.25 लाख एवं नजारत अनुभाग की धनराशि रु. 2.32 लाख का बैंक खाते में अवरुद्ध रहना।

शासन के पत्र संख्या-99/xxvii(14)/2009, तद्दिनांक सितम्बर, 2009 में स्पष्ट उल्लेख है कि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं की एक बड़ी धनराशि बैंकों में जमा (Park) की जाती रही है। यह प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन श्री राज्यपाल द्वारा बनाये गये कोषागार नियम- 9 तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग -1 के प्रस्तर 21 व 22-बी के विपरीत है।

कार्यालय, उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश के बैंक खाते के स्टेटमेंट तथा सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि कार्यालय द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, ऋषिकेश में खाता संख्या- 30200100209 का संचालन किया जा रहा था जो तहसीलदार के पदनाम से था। उक्त खातें में दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 को रु. 40,56,577/- धनराशि जमा थी अर्थात खाते का अंतिम अवसेष था। उक्त जमा धनराशि में से रु. 2,32,000/- नजारत अनुभाग के पंजिका संख्या-04 में दर्ज धनराशि को उक्त खाते में जमा की गयी थी तथा शेष धनराशि रु. 38,24,577/- अनविज्ञ मदों की जमा धनराशि थी। नजारत अनुभाग तथा अनविज्ञ मदों की उक्त धनराशि के सम्बंध में उच्चाधिकारियों से दिशा-निर्देश प्राप्त करे निस्तारण किया जाना चाहिए था जो लेखापरीक्षा तिथि तक नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा उपर्युक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रतिउत्तर मं बताया कि अनविज्ञ मदों की धनराशि के सम्बंध में उच्चाधिकारी के दिशा-नर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो(ब)

प्रस्तर 02- मुख्यमंत्री विवकाधीन कोष के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि रु. 43.65 लाख के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जनपद कार्यालय को प्रेषित न किया जाना तथा धनराशि के वितरण में शासनादेश में निहित शर्तों की अवहेलना का प्रकरण।

मुख्यमंत्री कार्यालय, देहरादून के अर्द्धशा. पत्रांक दिनांक 09.11.2017 के द्वारा जिलाधिकारी को मा. मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सम्बंध में निर्देशित किया गया था कि स्वीकृत धनराशि का भुगतान नियमानुसार लाभार्थियों को करते हुए लाभार्थियों से स्टाम्पयुक्त रसीद एवं यथा आवश्यक वांछित अभिलेख प्राप्त कर जनपद स्तर पर सुरक्षित रखे जायें तथा उक्त स्वीकृत इस शर्त के अधीन है कि अनुदान गृहित द्वारा धनराशि प्राप्त करने की तिथि से 06 माह के अन्दर अनुदान का उपयोग कर लिये जाये वित्तिय वर्ष में लाभार्थियों को वितरीत की गई अनुदान की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप (जी.एफ.आर.-19ए) पर शासन को प्रेषित किया जायें, जिसमें यह उल्लेख होगा कि शर्तों एवं उद्देश्यों को पूरा कर लिया गया तथा लाभार्थी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन में किया गया, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी थी। स्वीकृत धनराशि लाभार्थी को भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी का चालू वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष य किसी अन्य मंत्री के विवेकाधीन से ऐसी सहायता प्राप्त नहीं हुयी है, इस आशय का लाभार्थी से प्रमाण-पत्र लेने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि का वितरण किया जायेगा।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश के मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सम्बंधित पंजिकाओं, अभिलेखों तथा उपलब्ध करवाई सूचनाओं की संवीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से रु. 43,65,000/- की धनराशि को 242-लाभार्थियों को वितरित की गयी तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 में कुल वितरण की गयी जिसके कारण लेखापरीक्षा में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि उक्त वित्तीय वर्षों में कुल कितनी धनराशि का वितरण किया गया न पंजिका को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाया गया। वर्ष 2017–8 व 2019-20 में वितरित की गयी धनराशि के उपयोगापरान्त उपयोगिता प्रमाण जिलाधिकारी को प्रेषित नहीं किये गये, जबकि उपयोगापरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र 6-माह में प्रेषित किये जाने चाहिए थे।

आगे यह भी पाया गया कि उपरोक्त शासनादेसानुसार धनराशि के वितरण के बाद लाभार्थियों से स्टाम्पयुक्त प्राप्ति रसीद एवं तदानुसार प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के अभाव में लेखापरीक्षा में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि अनुदान जिस प्रयोजन हेतु दिया गया था उसी प्रयोजन में व्यय किया गया है या नहीं।

लेखापरीक्षा द्वारा उपर्युक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रतिउत्तर में बताया कि भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित कि जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
55/2017-18	शून्य	01,02, व 03	00

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	आभ्युक्ति
55/2017-18	प्रस्तर 01- रु. 15,200/- राजकीय वाहन की वसूली न किया जाना।	अनुपालन आख्या पृथक से प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।		
	प्रस्तर 02- वसूली प्रमाण-पत्र की धनराशि रु. 106.46 लाख की वसूली न किया जाना।	तदैव		
	प्रस्तर 03- शस्त्र लाईसेंस नवीनीकरण की धनराशि 59,450/- की राजस्व क्षति।	तदैव		

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः- शून्य

भाग-V

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखपरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

- **वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक के दैवीय आपदा निधि एवं कोविड-19 में प्राप्त धनराशि से सम्बंधित समस्त अभिलेख।**

1- सतत् अनियमिततायेः- शून्य

2- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/डी.डी.ओ. कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री हर गिरि	उप जिलाधिकारी	27.06.2017	22.10.2018
2	श्री प्रेम लाल	उप जिलाधिकारी	22.10.2018	09.06.2020
3	श्री वरुण चौधरी (आई.ए.एस.)	उप जिलाधिकारी	09.06.2020	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलिति कर एक प्रति कार्यालय, उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/AMG-III को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-III